भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1663

उत्तर देने की तारीख : 05.12.2024

बैंक ऋण प्राप्त करने में एमएसएमई के सामने आने वाली चुनौतियाँ

1663. **श्री अमर शरदराव काले:**
श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटील:
श्री संजय दीना पाटिल:
श्री बजरंग मनोहर सोनवणे:
डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हे:
श्रीमती सुप्रिया सुले:
प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़:
श्री निलेश ज्ञानदेव लंके:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों ने एमएसएमई को ऋण देने के लिए कोई मानदंड निर्धारित किए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कई एमएसएमई को बैंकों से ऋण प्राप्त करने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, यदि हां, तो महाराष्ट्र में बैंकों से ऋण प्राप्त करने में एमएसएमई के सामने आने वाली चुनौतियों को दूर करने लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने महाराष्ट्र में एमएसएमई को ऋण देते समय बैंकिंग संस्थाओं द्वारा मांगी जा रही संपार्श्विक प्रतिभूतियों का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्रवाई की जा रही है कि उक्त राज्य में ऋण के लिए एमएसएमई से मांगे जा रहे संपार्श्विक आवश्यकताएं उनके व्यवसाय के आकार और वित्तीय क्षमता के अनुसार उचित और तर्कसंगत हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड़) क्या सरकार एमएसएमई को आसान ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए अन्य योजनाओं पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) : जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा सूचित किया गया है, 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को ऋण' (11 जून, 2024 तक अद्यतन) पर 24 जुलाई, 2017 के प्रमुख निदेश के पैराग्राफ 4 के संदर्भ में, सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) क्षेत्र में इकाइयों को दिए गए 10 लाख रुपये तक के ऋण के मामले में बैंकों को संपार्श्विक प्रतिभूति स्वीकार नहीं करने का आदेश दिया गया है। बैंक, एमएसई इकाइयों के अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड और वित्तीय स्थिति के आधार पर, 25 लाख रुपये तक के ऋण के लिए संपार्श्विक आवश्यकता के साथ वितरण की सीमा बढ़ा सकते हैं।

4 सितंबर, 2020 को 'प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण (पीएसएल) - लक्ष्य और वर्गीकरण' पर प्रमुख निदेश के संदर्भ में, एमएसएमई को दिए गए सभी बैंक ऋण, जो उसमें निर्धारित शर्तों के अनुरूप हैं, 'प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण के तहत वर्गीकरण के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं।

(ख) से (ड़) : 31 अक्टूबर, 2024 तक महाराष्ट्र राज्य के संबंध में सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी योजना के तहत संचयी रूप से स्वीकृत गारंटी का विवरण नीचे दिया गया है:

अनुमोदित सीजीटीएमएसई – गारंटी– महाराष्ट्र		
अवधि	संख्या	राशि करोड़ रुपए में
दिनांक अक्टूबर 31, 2024 तक संचयी	7,70,816	90,376

इसके अलावा, सरकार ने महाराष्ट्र राज्य सहित, देश में एमएसएमई को ऋण के प्रवाह में सुधार के लिए कई उपाय किए हैं। उनमें से कुछ नीचे दिए गए हैं।

i. संपार्श्विक और तृतीय पक्ष की गारंटी की परेशानी के बिना सूक्ष्म और लघु उद्यम क्षेत्र को ऋण के प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के लिए, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना के तहत अधिकतम 5 करोड़ रुपये तक का ऋण।
ii. दिनांक 13.05.2022 को जारी किए गए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के आशोधित दिशानिर्देशों के तहत, विनिर्माण और सेवाओं के लिए परियोजना लागत को 25.00 लाख रुपये और 10.00 लाख रुपये से बढ़ाकर क्रमशः 50.00 लाख रुपये और 20.00 लाख रुपये कर दिया गया है।
iii. आत्मनिर्भर भारत के तहत, भारत सरकार ने ऐसे एमएसएमई में इक्विटी निवेश के लिए आत्मनिर्भर भारत फंड की स्थापना की है, जिसमें बढ़ने की क्षमता और संभावना है।
iv. दिनांक 26.06.2020 को एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए निवेश और टर्नओवर के नए संशोधित समग्र मानदंड अपनाए गए ।
v. दिनांक 01.07.2020 से व्यवसाय में सुगमता के लिए एमएसएमई के लिए "उद्यम पंजीकरण"।
vi. प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए ऋण संबंधी लाभ प्राप्त करने के लिए अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों को औपचारिक दायरे में लाने के लिए दिनांक 11.1.2023 पर उद्यम असिस्ट प्लेटफार्म का शुभारंभ।

****